

क्रमांक :- एफ.4(ई) / द्वि.एसीपी 88 / अलेसे-III / 8270-74

दिनांक :- 5/8/2018

कार्यालय आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ11(7)वित्त (नियम)/2008 दिनांक 12.09.2008 एवं आदेश संख्या एफ11 (7)वित्त (नियम) पार्ट-I/2008 दिनांक 06.10.2008 के अनुसरण में श्री शशि कुमार (653/88) कनिष्ठ लेखाकार, जिनकी कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति तिथि 31.12.1990 है। श्री शशि कुमार ने 18 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा दिनांक 31.12.2008 को पूर्ण कर ली है। अतः श्री शशि कुमार को दिनांक 31.12.2008 से कनिष्ठ लेखाकार के पद की द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) वेतन श्रृंखला पी.बी.-2 (9300-34800) ग्रेड पे 4200/- में स्वीकृति की जाती है।

श्री शशि कुमार को उनके वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प0 (20) वित्त/ग्रपे-2/92 दिनांक 23.04.1994 में दी हुई शर्तों के संबंध में संतोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा कार्मिक विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ.7 (1) (डीओपी)/क-2/95 दिनांक 20.06.2001 के क्रम में सन्तान संबंधी घोषणा प्राप्ति एवं गत सात वर्षों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है।

श्री शशि कुमार का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.08 के पैरा 19 के अनुसार संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा है। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित कनिष्ठ लेखाकार की सेवा पुस्तिका में की जावे।



निदेशक

दिनांक :- 5/8/2018

क्रमांक :- एफ.4(ई) / द्वि.एसीपी 88 / अलेसे-III / 8270-74/
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उप कोषाधिकारी, श्रीकरनपुर।
2. श्री शशि कुमार, कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय उप कोषाधिकारी, श्रीकरनपुर।
3. निजी सहायक निदेशक, महोदया।
4. उप निदेशक (एसीपी), वेबसाइट पर प्रकाशन हेतु।
5. निजी/गार्ड फाईल।



अतिरिक्त निदेशक [कार्मिक-III]